भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु
निर्यात विकास निधि
(ई डी एफ - एन ई आर)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु निर्यात विकास निधि

पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यातों के विकास हेतु उपायों के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा शिलांग में दिनांक 21-22 जनवरी, 2000 को की गई घोषणा के अनुसरण में उक्त क्षेत्र से निर्यातों के विकास हेतु संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से निर्यात विकास निधि (ई डी एफ) की स्थापना की गई है । इस स्कीम की विशेषताओं एवं स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावों पर विचार करने हेतु दिशा-निर्देशों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

1. निधि

1.1 निधि 5 करोड़ रूपये की प्रारंभिक संग्रह राशि से स्थापित की जाएगी ।

1.2 ई डी एफ में परवर्ती अंशदान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सरकार द्वारा अभिज्ञात अन्य बयजटीय अथवा गैर-बजटीय स्रोतों से कर सकता है ।

1.3 इसका प्रबंध वाणिज्य विभाग के अनुदेशों के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा किया जाएगा ।

2. उद्देश्य

2.1 इस निधि का उद्देश्य सिक्किम सहित देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यातों के संवर्धन हेतु विशिष्ट कार्यकलापों हेतु सहायता प्रदान करना है । सभी कार्यकलाप जो इस क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यातों से जुड़े हैं और निर्यातों में सहायक हैं, इस निधि से सहायता हेतु पात्र होंगे ।

3. दायरा

3.1 निम्नलिखित कार्यकलाप इस निधि से सहायता हेतु पात्र होंगेः-

(i) निर्यातों हेतु लक्ष्यित अग्रणी/पायलट परियोजनाओं की शुरूआत
(ii) निर्यातों हेतु लक्ष्यित अग्रणी पायलट परियोजनाओं के लिए उपस्कर तथा मशीनें प्रदान करना
(iii) निर्यातों को सुकर बनाने हेतु सामान्य सुविधाओं का सृजन
(iv) निर्यात उत्पादों के परीक्षण एवं मानकीकरण एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु सुविधाएं
(v) व्यापारिक शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान से संबंधित वित्त-पोषण
(vi) पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्यात संवर्धन को प्रभावित करने वाला, वाणिज्य विभाग द्वारा यथा अधिसूचित अन्य कोई कार्यकलाप ।

4. पात्र एजेन्सियां

4.1 इस स्कीम के अंतर्गत धनराशि निम्नलिखित को दी जा सकती हैः-

(i) केन्द्र/राज्य सरकारें
(ii) केन्द्र/राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रम
(iii) केन्द्र/राज्य सरकारों की अन्य एजेंसियां
(iv) निर्यात संवर्धन परिषदें/वस्तु बोर्ड
(v) भारत सरकार की निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त शीर्षस्थ व्यापारिक निकाय और पैरा 6 के अंतर्गत गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा इस प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त अन्य शीर्षस्थ निकाय
(vi) निर्यातों हेतु समर्पित अलग-अलग उत्पादन/सेवा यूनिटें

5. संस्वीकृत हेतु मानदण्ड

5.1 प्रस्ताव में इस क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यातों के साथ प्रत्यक्ष सम्बद्धता दर्शाई जानी चाहिए और इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यातों में सहायता हेतु आशयित होना चाहिए ।

6. जांच एवं संस्वीकृति

6.1 एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति होगी जो प्रस्तावों पर विचार करेगी और उन्हें अनुमोदित करेगी । समिति संस्वीकृत प्रस्तावों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगी ।

6.2 वाणिज्य विभाग के अपर सचिव (स्टेट सैल) समिति के अध्यक्ष होंगे और इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः-

(i) अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि
(ii) सलाहकार (पी ए एण्ड एम डी), योजना आयोग अथवा उनका प्रतिनिधि
(iii) संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर), गृह मंत्रालय, भारत सरकार
(iv) संयुक्त सचिव, स्टेट सैल, वाणिज्य विभाग
(v) पूर्वोत्तर परिषद (एन ई सी) का प्रतिनिधि
(vi) निदेशक/उप सचिव, स्टेट सैल, वाणिज्य विभाग, समिति के सदस्य-सचिव ।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक त्रैमासिक आधार पर नई दिल्ली अथवा जहां तक व्यवहार्य हो, पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी राज्य की राजधानी में आयोजित की जाएगी ।

6.3 प्रस्तावों को प्रस्तावित/प्रायोजित करने वाले संगठनों के प्रतिनिधि को उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है ।

6.4 अनुमोदित परियोजनाओं/कार्यों हेतु निधियों की संस्वीकृति हेतु अनुमोदन मानक प्रक्रिया के अनुसार वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्थायी वित्त समिति से प्राप्त किया जाएगा ।

6.5 स्टेट सैल, वाणिज्य विभाग इस समिति से संबंधित कार्यों का समन्वयन करेगा और संस्वीकृत निधियां जारी करने हेतु एपीडा के साथ सम्पर्क करेगा ।

6.6 इस स्कीम के अंतर्गत किया गया भुगतान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा तथा भारत सरकार द्वारा उचित समझे गए अन्य साधनों के अध्यधीन होगा ।

6.7 भारत सरकार इस स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं का वास्तविक सत्यापन तथा अन्य ऐसी जांच कराएगी जिसे वह उचित समझती है ।

7. परियोजनाएं/प्रस्ताव प्रस्तुत करना

7.1 परियोजना प्रस्ताव की बारह प्रतियां निदेशक, स्टेट सैल, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

7.2 प्रस्ताव विस्तृत होना चाहिए । परियोजना से जुड़े सभी पहलुओं के समर्थन में आंकड़े, सर्वेक्षण आदि प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

7.3 प्रस्ताव के साथ एक कार्यकारी सारांश अवश्य संलग्न किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तथ्य शामिल होने चाहिएः-

(i) प्रस्तावक संगठन का नाम और पूरा पता
(ii) कार्यान्वयन संगठन का नाम और पूरा पता
(iii) कार्यान्वयन संगठन का दर्जा (क्या वह सरकारी एजेन्सी अथवा व्यापारिक निकाय अथवा निर्यातक व्यक्ति आदि है)
(iv) परियोजना की कुल लागत
(v) वित्त पोषण का तरीका
(vi) क्या ई डी एफ - एन ई आर को छोड़कर किसी अन्य स्रोत (स्रोतों) से वित्त पोषण की व्यवस्था की गई है
(vii) क्या परियोजना के लिए भूमि, यदि अपेक्षित हो, उपलब्ध है
(viii) परियोजना का चरण क्रम और पूरा करने की तारीख
(ix) कार्य का दायरा (अपेक्षित सुविधाएं)

(x) परियोजना से होने वाले मुख्य लाभ

7.4 इस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तुत परियोजनाओं को मोटे तौर पर निम्नलिखित मानदण्ड अवश्य पूरे करने चाहिएः-

(i) राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजना दीर्घाविधिक, सम्पोषणीय और सुनिश्चित लाभों वाली होनी चाहिए ।

(ii) परियोजना में संभव सीमा तक स्थानीय उद्यमियों और एजेन्सियों को शामिल किया जाना चाहिए ।

(iii) परियोजना रिपोर्ट वित्तीय अथवा तकनीकी सलाहकार द्वारा तैयार की जानी चाहिए और उसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिएः-

(क) परियोजना का आई आर आर देते हुए उसकी आर्थिक व्यवहार्यता
(ख) नकद प्रवाह का परिकलन
(ग) लागत प्रभाव
(घ) कार्यशील पूंजी की आवश्यकता
(ड.) प्रौद्योगिकी प्रमाणन अर्थात क्या कंपनी द्वारा प्रस्तावित प्रौद्योगिकी आधुनिकतम है
(च) संभावित निर्यात बाजार एवं कीमत और गुणवत्ता के रूप में प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संभावित कीमत प्राप्ति ।
(छ) कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता और उसकी लागत
(ज) परियोजना हेतु, कम से कम निःशुल्क भूमि के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा सहायता का ब्यौरा

(iv) परियोजना बाजार के तौर-तरीकों पर आधारित होनी चाहिए और उसके पास बाजार की संभावना तथा ऐसे विदेशी बाजारों में प्रस्तावित भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता का पूरा ब्यौरा उपलब्ध होना चाहिए । ध्यान पड़ोसी देशों पर केन्द्रित किया जाना चाहिए ।

(v) परियोजना का उद्देश्य मौजूदा उद्यमियों, उत्पादकों और व्यापारियों के क्षमता निर्माण का होना चाहिए ताकि वे निर्यात बाजार की ओर प्रवृत्त हो सकें ।

(vi) यथा संभव समूह दृष्टिकोण (क्लस्टर एप्रोच) अपनाया जाना चाहिए ।

(vii) निजी क्षेत्र को सहायता स्वीकृत किए जाने के मामले में इसे वापसी योग्य होना चाहिए ।

(viii) भारत सरकार के संबंधित विभागों को शामिल किया जाना चाहिए और ऐसी सभी चल रही स्कीमें/परियोजनाएं एकीकृत की जानी चाहिए ।

7.5 उपर्युक्त प्रत्येक मानदण्ड से संबंधित ब्यौरा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए । रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ विस्तृत लागत लाभ अध्ययन, परियोजना के प्रत्येक संघटक की लागत का ब्यौरा, परियोजना से मात्रात्मक तथा गुणात्मकता, दोनों रूपों में होने वाले लाभ तथा प्रस्तावक के वर्तमान कार्यकलाप का ब्यौरा शामिल किया जाना चाहिए ।

7.6 इस स्कीम के अंतर्गत केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा जो सभी तरह से पूर्ण हों ।

अधिक जानकारी/पूछताछ हेतु कृपया सम्पर्क करें

स्टेट सैल, कमरा सं0 542 बी,
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
दूरभाषः 011-2306 5069 फैक्स 011-23063418
ई-मेलः moc_states@nic-in

राष्ट्रीय व्यापार

व्यापार संवर्धन सहायता

अमेरीका द्वारा भारत को जी एस पी लाभ बहाल

अमेरीका के राष्ट्रपति ने अमेरीका व्यापार बिल, 2002 पर दिनांक 6.8.2002 को हस्ताक्षर किए हैं । इस कानून में दिनांक 30 सितम्बर, 2002 से भूतलक्षी प्रभाव से 5 वर्ष हेतु (अर्थात दिनांक 30 सितम्बर, 2006 तक) जी एस पी को नवीकृत किया गया है ।

संबंधित सूचना को डाउनलोड करने के इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट www.ustr.gov देखें तथा जी एस पी से संबंधित टैरिफ से जुड़ी जानकारी वेबसाइट www.usitc.gov डाउनलोड करें ।

फा0 सं0 11/31/2008-ई एण्ड एम डी ए
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांकः .

विषयः विदेश स्थित भारतीय मिशनों हेतु "चैलेंज फंड"

1. चैलेंज फंड

वाणिज्य विभाग की बाजार पहुँच पहल (एम ए आई) स्कीम एक निर्यात संवर्धन स्कीम है, जो सम्पोषणीय आधार पर भारत के निर्यातों के संवर्धन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने हेतु परिकल्पित है । विदेश स्थित भारतीय मिशन भी इस स्कीम के अंतर्गत सहायता हेतु पात्र हैं । हमारे मिशनों को अपने निर्यात संवर्धन कार्यकलापों को सुकर बनाने में सहायता करने हेतु बाजार पहुँच पहल (एम ए आई) के अंतर्गत एक "चैलेज फंड" स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । यह फंड विदेश स्थित भारतीय मिशनों के लिए वाणिज्य विभाग की एम ए आई स्कीम की सहायता प्राप्त करने हेतु एक विशेष साधन होगा । इसकी भूमिका निर्यात संवर्धन परिषदों/वाणिज्य मण्डलों के निर्यात संवर्धन कार्यकलापों में उत्प्रेरक/सहायक की होगी । इसके उद्देश्य तथा अन्य नियमों का ब्यौरा निम्नानुसार हैं :-

2. उद्देश्य

इस स्कीम का उद्देश्य वाणिज्य विभाग की एम ए आई स्कीम के अंतर्गत निर्यात संवर्धन कार्यकलापों में विदेश स्थित भारतीय मिशनों को शामिल करना है । मिशन अभिनव निर्यात संवर्धन परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु बोली लगाएंगे ।

3. विशेषताएं

फंड की विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

(i) फोकस मार्केट - फोकस उत्पाद निर्यात संवर्धन कार्यकलाप ।

(ii) भारतीय निर्यातों की क्षमता के प्रदर्शन हेतु अभिनव बाजार संवर्धन परियोजनाएं ।

(iii) केवल बाजार संवर्धन कार्यकलापों से संबंधित परियोजनाओं पर ही विचार किया जाएगा । बाजार अध्ययन अथवा अवसंरचना (फर्नीचर, उपस्कर आदि) से संबंधित परियोजनाएं शुरू नहीं की जाएंगी ।

(iv) बाजार विकास तथा बाजार पैठ कार्यकलाप के माध्यम से किसी विशिष्ट देश अथवा क्षेत्र हेतु भारत के निर्यात संग्रह की नई मदों के निर्यात संवर्धन को प्राथमिकता दी जाएगी ।

(v) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एस एम ई) हेतु निर्यात संवर्धन पहलों को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें उन क्षेत्रों तथा देशों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा जिनके साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार कम है उदाहरणार्थ अफ्रीका, लैटिन अमेरीकी क्षेत्र आदि ।

(vi) वाणिज्य विभाग की एम ए आई/एम डी ए स्कीम के अंतर्गत पहले से चल रही परियोजनाओं में दोहराव नहीं किया जाएगा ।

4. वित्तीय सीमा

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 50 परियोजनाओं को अनुमोदित किया जाएगा और प्रत्येक परियोजना को 10.00 लाख रूपये की व्यय सीमा के भीतर कार्यान्वित किया जाएगा ।

5. परियोजना प्रस्तुत करना

(i) परियोजना की रूपरेखा उच्चायुक्त/राजदूत के मार्गदर्शन के अंतर्गत मिशन के वाणिज्यिक स्कंध द्वारा तैयार की जाएगी ।

(ii) परियोजना में कार्यान्वयन वाले देश में एक स्थानीय भागीदार (वाणिज्य महासंघ, उद्योग एसोसिएशन, बिजनेस स्कूल आदि) तथा भारत में एक या अधिक हितबद्ध पक्षकार (ई पी सी, निर्यात संवर्धन एजेंसी) हो सकते हैं ।

(iii) सहायता हेतु आवेदन प्रायोजक मिशन द्वारा एम ए आई दिशा-निदेशों के अनुबंध-I में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा ।

6. अनुमोदन प्रक्रिया

परियोजना प्रस्ताव का चयन संयुक्त सचिव, आई टी पी विदेश मंत्रालय सहित संयुक्त सचिवों के परिपूर्ण समूह द्वारा किया जाएगा । परियोजना एम ए आई स्कीम की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित की जाएगी ।

7. कार्यान्वयन

परियोजना राजदूतावास द्वारा स्थानीय भागीदार और हितबद्ध पक्षकार के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी । परियोजना रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मिशन द्वारा संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा ।

8. प्रभाव का आकलन

स्कीम का प्रभाव आकलन परियोजना के कार्यानवयन के छह माह के बाद वाणिज्य विभाग के संबंधित विदेश व्यापार प्रभाग द्वारा किया जाएगा ।